तहसीलदार जायल से उक्त निर्णय आदेश दिनांक 09.03.2021 की पालना में प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव जरिये मौका रिपोर्ट दिनांक 02.12.2021 को प्राप्त हुआ, जिस पर वकुलाय/पक्षकारान् को सुना गया। वकुलाय ने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार जायल द्वारा पक्षकारान को नोटिस जारी किया जाकर मौके पर उपस्थित होकर तैयार किया गया है, उपस्थित पक्षकारान् में वादीगण व प्रतिवादी नाथाराम , सावंताराम, रामप्रसाद ने बंटवारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है तथा उक्त बंटवारा प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार किये जाने की पुष्टि भू.अभि.निरिक्षक एवं पटवार हल्का की उपस्थिति एवं हस्ताक्षर से होती है। जिन्होने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। चूंकि समस्त पक्षकारान् पीडी प्रस्ताव से सहमत है तथा वादग्रस्त खेताय का माफिक पीडी अंतिम बंटवाड़ा चाहते हैं अतः मौजा भावला के खेत खसरा नंबर 62, 72, 563/57, 564/67 में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 4 को प्रतिवादी संख्या 1 नाथाराम के साथ सहखातेदार घोषित कर तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार हम वादीगण का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार अंतिम डिग्री किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

— : : आदेश : : —

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा भावला के खेत खसरा नंबर 62, 72, 563/57, 564/67 में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 4 को प्रतिवादी संख्या 1 नाथाराम के साथ सहखातेदार घोषित कर माफिक तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव मौका रिपोर्ट दिनांक 02.12.2021 के अनुसार निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है। पीडी प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा।

1. वादी संख्या 1 घासीराम के हक बंट में खसरा नंबर 564/67 रकबा 15.13 बीघा में से 07.17 बीघा पश्चिमी भाग , खसरा नंबर 72 रकबा 17.16 बीघा में से 04.09 बीघा पूर्वी भाग, खेत खसरा नं. 62 रकबा 15.04 बीघा में से 1.06 बीघा मध्य का भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
2. वादी संख्या 2 के हक बंट में खसरा नंबर 563/57 रकबा 13.18 बीघा में से 8 बीघा पूर्वी भाग , खसरा नंबर 72 रकबा 17.16 बीघा में से 04.09 बीघा मध्य भाग, खेत खसरा नं. 62 रकबा 15.04 बीघा में से 1.06 बीघा मध्य भाग माफिक नजरी नक्शानुसार रखा गया है।
3. वादी संख्या 3 हरीराम के हक बंट में खसरा नंबर 564/67 रकबा 15.13 बीघा में से 07.16 बीघा पूर्वी भाग , खसरा नंबर 72 रकबा 17.16 बीघा में से 04.09 बीघा

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

पश्चिमी भाग, खेत खसरा नं. 62 रकबा 15.04 बीघा में से 1.06 बीघा मध्य का भाग माफिक नजरी नक्शानुसार रखा गया है।

4. वादी संख्या 4 रामप्रसाद के हक बंट में खसरा नंबर 563/57 रकबा 13.18 बीघा में से 5.18 बीघा पश्चिमी भाग , खसरा नंबर 72 रकबा 17.16 बीघा में से 04.09 बीघा मध्य भाग, खेत खसरा नं. 62 रकबा 15.04 बीघा में से 3.06 बीघा उतरी भाग माफिक नजरी नक्शानुसार रखा गया है।
5. प्रतिवादी संख्या 1 से 4 कमश नाथाराम, रेशमी, सुप्यार, मधु के संयुक्त हिस्सेदारी में खेत खसरा नंबर 62 रकबा 15.04 बीघा में से 8 बीघा दक्षिणी भाग माफिक नजरी नक्शानुसार रखा गया है।

निर्णय आज दिनांक 03/12/19 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

03/12/2019

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner